राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन, भोपाल
मध्यप्रदेश
राजभवन गैरेज, भोपाल के पुराने वाहन की नीलामी हेतु आमंत्रण सूचना विज्ञप्ति

क्रमांक 931 एफ 73–08/2015/रास/हाहो दिनांक 19/4/2017

राजभवन गैरेज, भोपाल का एक वाहन सील्ड टेण्डर से विक्रय किया जाना है। विस्तृत विवरण इस प्रकार है–

क्र.	वाहन क्रमांक	वाहन का प्रकार	निर्माण वर्ष
1	2	3	4
1-	MP01-0003	Safari (Petrol)	2004

1. वाहन 'जहां है जैसी है' के आधार पर नीलाम किया जावेगा।
2. वाहन विक्रय के संबंध में निर्णय के समस्त अधिकार राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, भोपाल के पास सुरक्षित रहेंगे। उक्त कार्य के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में उनके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।
3. आवेदन फार्म का मूल्य 200/– (रूपये दो सौ मात्र) है जो नगद भुगतान करके नियंत्रक, हाउस होल्ड, राजभवन के कक्ष से क्रय करना होगा। यह राशि वापिसी योग्य नहीं होगी।
4. आवेदन फार्म विज्ञापन प्रकाशन की दिनांक से दिनांक 01.05.2017 को सायं 5:00 बजे तक प्रदाय किये जायेंगे तथा सील बंद लिफाफे में दिनांक 08.05.2017 को सायं 5:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।
5. क्रेता को टेण्डर फार्म के साथ धरोहर राशि रूपये 5,000/– (रूपये पांच हजार मात्र) का (केवल भारतीय स्टेट बैंक का) बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट जो Accounts Officer Rajbhavan Bhopal के पक्ष में भोपाल में देय हो, संलग्न करना होगा।
6. विज्ञापन एवं टेण्डर फार्म वेबसाईट http://rajbhavanmp.in पर भी देखा जा सकता है।
7. किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद का निराकरण भोपाल स्थित न्यायालय में ही मान्य होगा।
8. सील बंद लिफ़ाफ़े में प्राप्त टेण्डर फार्म दिनांक 09.05.2017 को दोपहर 12:00 बजे नीलामी समिति व उपस्थित टेण्डरकर्ताओं की उपस्थिति में नियंत्रक (हा.हो.) कक्ष में खोले जायेंगे।

Sharnagat 19.04.17

(लता शरणागत)
नियंत्रक
राजभवन, भोपाल

Contd. on --(2)

राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

सील्ड टेण्डर फार्म

प्रति,

राज्यपाल के अपर सचिव,
राज्यपाल का सचिवालय,
राजभवन, भोपाल।

मैं (नाम)--टेण्डरकर्ता, राजभवन, भोपाल द्वारा दिनांक.................................को विक्रय की जाने वाले वाहन कमांक एम.पी 01–0003 (सफारी) के लिये अपना टेण्डर फार्म प्रस्तुत करता/करती हूं।

विवरण इस प्रकार है:–

1. नाम : --
2. पिता/पति का नाम : --
3. स्थाई पता : --
   फोन/ मोबाईल नम्बर : --
4. अस्थाई पता : --
   ----
5. पैनकार्ड नं. (छायाप्रति संलग्न) : --
6. आधार कार्ड नं. (छायाप्रति संलग्न) : --
7. धरोहर राशि : --
   (क) बैंक ड्राफ्ट का नम्बर : ----------------------दिनांक---------------
   (ख) बैंक का नाम : --
8. टेण्डर राशि : अंको में ------------------------------
   : शब्दों में ------------------------------

घोषणा

मैंने इस टेण्डर फार्म के साथ दर्शाये गये सम्पूर्ण नियम एवं शर्तों का विवेकपूर्ण अध्ययन कर लिया है, जो मुझे स्वीकार है।

टेण्डरकर्ता के हस्ताक्षर

Contd. on ... ③

सील्ड टेण्डर के नियम एवं शर्तें

1. नीलाम किये जाने वाले वाहन का निरीक्षण कार्यालयीन समय में राजभवन गैरेज, भोपाल के परिसर में किया जा सकता है।
2. सभी कार्यवाही कार्य दिवसों के कार्यालयीन समय में होगी।
3. टेण्डर फार्म विज्ञापन के दिनांक से 01.05.2017 को सायं 5.00 बजे तक प्रदाय किये जायेंगे एवं दिनॉक 08.05.2017 को सायं 5:00 बजे तक सील बंद लिफाफे में स्वीकार किये जायेंगे ।
4. टेण्डर फार्म का मूल्य 200/– (रूपये एक सौ मात्र) है जो नगद भुगतान करके नियंत्रक, हाउस होल्ड, राजभवन के कक्ष से क्रय करना होगा।
5. सील बंद लिफाफे में प्राप्त टेण्डर फार्म दिनांक 09.05.2017 को दोपहर 12:00 बजे नीलामी समिति व उपस्थित टेण्डरकर्ताओं की उपस्थिति में नियंत्रक (हा.हो.) कक्ष में खोले जायेंगे।
6. आवेदनकर्ता को ही दिनांक 09.05.2017 को दोपहर 12:00 बजे टेण्डर फार्म खाले जाने के समय उपस्थित होने हेतु प्रवेश दिया जायेगा ।
7. टेण्डर फार्म के साथ धरोहर राशि रूपये 5,000/– (रूपये पांच हजार मात्र) का (केवल भारतीय स्टेट बैंक का) बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट जो Accounts Officer Rajbhavan Bhopal के पक्ष में भोपाल में देय हो, संलग्न करना होगा।
8. नीलामी के पूर्व वाहन का निरीक्षण भली–भांति कर लें। नीलामी के पश्चात् वाहन की स्थिति संबंधी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। वाहन जहां है, जैसी स्थिति में है के आधार पर विक्रय किया जा रहा है।
9. नीलामी में उच्चतम टेण्डरकर्ता को धरोहर राशि के अतिरिक्त उच्चतम टेण्डर की एक तिहाई राशि नगद उसी समय जमा करना होगी। अन्यथा धरोहर राशि रूपये 5,000/– (रूपये पांच हजार मात्र) राजसात कर ली जावेगी। धरोहर राशि का समायोजन वाहन उठाते समय शेष रही राशि में किया जावेगा। नीलामी में प्राप्त सभी सील्ड टेण्डर में से प्रथम एवं द्वितीय उच्चतम राशि वाले टेण्डर राशि के डी0डी0 रोके जायेंगे। यदि प्रथम उच्चतम टेण्डर राशि वाले टेण्डरकर्ता निर्धारित समय में टेण्डर की पूर्ण राशि जमा नहीं करता है तो उच्चतम प्रथम टेण्डरकर्ता की टेण्डर राशि राजसात कर द्वितीय अधिकतम टेण्डरकर्ता की टेण्डर राशि जमा कर वाहन उठाने का अवसर दिया जावेगा। यदि उक्त द्वितीय टेण्डरकर्ता निर्धारित समयावधि में टेण्डर की पूर्ण राशि जमा नहीं करते है तो कमेटी को उनकी धरोहर राशि को भी राजसात करने का अधिकार होगा।
10. वाहन विक्रय के संबंध में प्रमुख सचिव, राज्यपाल का सचिवायल, राजभवन, भोपाल का निर्णय सर्वोपरि होगा।
11. प्रमुख सचिव, राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन, भोपाल को यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि बिना बताये नीलामी की कार्यवाही निरस्त कर सकते हैं।
12. टेण्डर स्वीकृत या अस्वीकृत होने के संबंध में दिनांक 12.05.2017 या इसके पूर्व इस कार्यालय में आकर टेण्डरकर्ता स्वयं जानकारी लेंगे तथा टेण्डर स्वीकृत होने की स्थिति में 15 दिवस या इसके पूर्व वाहन की डिलीवरी आवश्यक रूप से प्राप्त करेंगे अन्यथा धरोहर एवं एक तिहाई जमा की गई राशि राजसात कर ली जावेगी।
13. वाहन की डिलेवरी लेने के बाद वाहन के हस्तांतरण हेतु समस्त व्यय क्रेता को स्वयं के व्यय पर करना होगा। विभाग सिर्फ विक्रय पत्र जारी करेगा। नामान्तरण यथाशीघ्र 10 दिन के अन्दर कराना होगा।
14. टेण्डर फार्म पर आवेदक स्वयं के हस्ताक्षर करें।
15. किस भी गलत जानकारी के लिये टेण्डरकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
16. किसी भी प्रकार के कानूनी विवादों का निदान भोपाल स्थित दीवानी न्यायालय में होगा। विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में भोपाल स्थित न्यायालय क्षेत्राधिकार होगा।
17. राजभवन गैरेज से वाहन की डिलेवरी लेने के पश्चात् गैरेज परिसर के बाहर यदि कोई घटना घटित होती है तो उसकी जिम्मेदारी क्रेता की होगी और कानूनी निर्णय के अंतर्गत समस्त स्वत्वों के भुगतान क्रेता को करने होंगे।
18. अन्य जानकारियां राजभवन, भोपाल से प्राप्त की जा सकती है।

(शैलेन्द्र कियावत)
राज्यपाल के अपर सचिव
मध्यप्रदेश